राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र– भानोत

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
03/18	12.01.2018	11.06.2018

अनुवान

1. सरीता उर्फ खामोश पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी जोगावाड तह0 मुण्डावर हाल निवासी शाहपुर तह0 बावल जिला रेवाडी, हरि0

:–अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत भानोत जर्ये सरपंच पं0स0 मुण्डावर जिला अलवर
2. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर।

:–रेस्पोडेन्टान

3. चन्द्रकलां पत्नी स्व0 श्री हरचन्द जाति जाट निवासी जोगावाड तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0
4. कृष्णा पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी जोगावाड तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

:–फौरमल रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.04.1990
ई0सं0 193 वाके ग्राम जोगावाड

–::निर्णय::–

दिनांक:– 11.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व शिविर न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र भानोत में पेश हुई। अपीलांटा स्वयं उपस्थित आये तथा प्रकरण में निर्णय कर दिये जाने का निवेदन किया। अपीलांटा के अपील का सारतः रहा कि इंतकाल संख्या 193 ग्राम पंचायत भानोत द्वारा दर्ज व मंजूर किया गया है। जिसके मुताबिक आराजी ख0न0 227/0.18 का 1/4 भाग, 489/1.44 का 1/6 भाग, 612/1.16 का 1/5 भाग, 91/0.37, 140/0.16,

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

215/0.23, 237/0.38, 333/0.66, 402/1.01, 587/0.39, 618/0.24 है0 का 1/6 भाग, 139/0.11, 210/0.14, 211/0.14, 212/0.20, 214/0.23, 226/0.56 है0 का 1/4 भाग वाके ग्राम जोगावाड तहसील मुण्डावर में मिन अपीलांट व फौरमल पक्षकार के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है व मिनअपीलांट व फोरमल पक्षकारान को जर्ये विरासत प्राप्त हुई है। इंतकाल संख्या 193 मिन अपीलांट की गैरमोजूदगी एवं बिना सूचना दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही ग्राम पंचायत भानोत द्वारा अपीलांट के भाई चरणसिंह पुत्र हरचंद की फौतगी पर विरासत इंतकाल संख्या 193 वाके ग्राम जोगावाड की आराजीयात बाबत दर्ज व मंजूर किया गया है। जिस इंतकाल में मिन अपीलांट का नाम खामोश पुत्री हरचंद दर्ज कर दिया गया जबकि मिन अपीलांट का नाम समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शिक्षण दस्तावेजात, पैन कार्ड आदि दस्तावेजात में सरीता पुत्री हरचंद दर्ज है तथा मिन अपीलांटा को गांव में खामोश कहते है। मिन अपीलांट के 2 नाम अलग–अलग दर्ज होने से अपीलांटा को काफी नुकसान हो रहा है एवं विद्युत कनेक्शन लेने, क्रेडिट कार्ड बनवाने, आराजी बेचान करने आदि में परेशानी आ रही है जबकि मृतक हरचंद व चरणसिंह के कोई जीवित या मृत खामोश नाम का अन्य कोई वारिस नहीं है, ना ही था। मिन अपीलांटा का नाम सरीता के स्थान पर खामोश दर्ज किये जाने से किसी भी व्यक्ति को कोई हानि या असुविधा नहीं होती है इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अपीलांटा का नाम सरीता उर्फ खामोश पुत्री हरचंद दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे का निवेदन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश फरमाया जावे की इंतकाल संख्या 193 वाके ग्राम जोगावाड ग्राम पंचायत भानोत में मिन अपीलांट का नाम जो खामोश पुत्री हरचंद गलत दर्ज किया गया है जिस इंतकाल को निरस्त किया जाकर मिन अपीलांट का नाम खामोश उर्फ सरीता पुत्री हरचंद दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार मुण्डावर को दिये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी रेस्पोडेन्टान अनुपस्थित रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलांटा को प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। अपीलांटा ने अपनी अपील की ताईद में नकल नामांतकरण संख्या 193, नकल जमाबंदी संवत 2047, नकल जमाबंदी सवंत 2071–74 किता 3, स्वंय का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

भानोत का दिनांक 10.07.2017 मे जारी सरीता व खामोश दोनो नाम एक ही महिला के है के बाबत का प्रमाण पत्र, संरपच ग्राम पंचायत शाहपुर, (बावल) रेवाडी, हरियाणा का सरीता व खामोश पुत्री हरचंद पत्नी धर्मपाल दोनों नाम एक ही महिला का होने के बाद का प्रमाण पत्र एवं शिक्षा संबंधी दस्तावेजात, ससुराल के राशन कार्ड , पैन कार्ड, आधर कार्ड, पहचान पत्र आदि की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली है।

अपीलांटा को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मजमेआम में जांच की गई व सरंपच ग्राम पंचायत भौनोत को भी सुना गया। दौराने सुनवाई सरपंच ग्राम पंचायत भानोत ने खामोश उर्फ सरिता पुत्री हरचंद जाति जाट निवासी जोगावाड की है जो कि दोनों नाम की 1 ही लडकी है के बाबत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन रहा। इस प्रकार से यह न्यायालय अपील अपीलांटा को स्वीकार योग्य पाता है।

–:आदेश:–

अतः यह न्यायालय अपील अपीलांटा को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं इंतकाल संख्या 193 वाके ग्राम जोगावाड ग्राम पंचायत भानोत में अंकित खामोश पुत्री हरचंद की हद तक का इंतकाल निरस्त किया जाता है एवं खामोश पुत्री हरचंद के बजाय खामोश उर्फ सरिता पुत्री हरचंद दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

(महेश चन्द माल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner